

case no. 29A/2016
235103000882015

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-29ए/2016
संस्थित दिनांक- 07.05.2015
Filling no- 235103000882015

01	जब्बार खॉ पुत्र सत्तार खॉ जाति मुसलमान उम्र 35 साल पेशा मजदूरी निवासी- हस्तार मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0वादी
विरुद्ध	
01	रानी बानो पत्नी जब्बार खॉ जाति मुसलमान उम्र 30 साल पेशा गृहणी निवासी- हस्तार मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0प्रतिवादी

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 01.12.2017 को घोषित किया गया}

01- यह दावा वादी की ओर से संविदा के विनिर्षिट पालन (दाम्पत्य संबंधो की पुर्नस्थापना) हेतु प्रस्तुत किया है।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी रानी वादी जब्बार खान की विवाहिता पत्नी है।

03- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी का विवाद लगभग 4 वर्ष पूर्व मुश्लिम रिति रिवाज अनुसार कस्बा चंदेरी में प्रतिवादी के साथ सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार प्रतिवादी वादी की वैधानिक पत्नी है। विवाह के बाद से ही प्रतिवादी ने वादी व उसके परिवार के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया तथा प्रतिवादी वादी पर उसके परिवार से पृथक निवास करने का दबाव बनाने लगी व झगडा करने लगी। वादी द्वारा प्रतिवादी को काफी समझाने का प्रयास किया पर प्रतिवादिया ने वादी का चरित्र हनन करना प्रारम्भ कर दिया जिससे विवाद और बढ़ गया तथा प्रतिवादी अत्यधिक आवेश में आकर आकर ही वादी के घर से

उसके माता पिता के घर चली गई। वादी द्वारा प्रतिवादी को उसके घर से कई बार लाने का प्रयास किया, किन्तु प्रतिवादी किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुई तथा वर्ष 2011 से अपने माता-पिता के यहां निवास करने लगी।

04— प्रतिवादी ने अकारण ही वादी को उसके पति अधिकारो से वंचित कर दिया तथा प्रतिवादी वादी के प्रति अपने पत्नी कर्तव्यो का पालन नहीं कर रही हैं जिससे वादी को अकारण ही उसके दाम्पत्य सुख से वंचित रहना पड रहा है। अतः वादी की ओर से यह वाद विहित समयावधि में एवं निर्धारित न्यायालय शुल्क सहित दाम्पत्य अधिकारो की पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत तथ्यो के अलावा उसके जबाब दावे में व्यक्त किया कि प्रतिवादी द्वारा वादी पर उसके परिवार से पृथक रहने एवं निरंतर झगडा करने वाली बात असत्य है। वादी विवाह के पूर्व से ही परिवार से पृथक रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादिया को मानसिक व शारीरिक रूप से कॉफी प्रताडित किया गया व प्रताडित करके प्रतिवादिया को घर से भगा दिया। प्रतिवादिया द्वारा वादी को दाम्पत्य अधिकारो से वंचित नहीं रखा गया हैं। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा वाद अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य भी नहीं है। विशेष आपत्ति में प्रतिवादी ने लेख किया कि प्रतिवादी रैकवार जाति की होकर हिन्दू धर्म की रही है तथा वादी मुशिलम धर्म का है। वादी ने प्रतिवादिया से विवाह करते समय प्रतिवादिया को यह आश्वासन दिया था कि विवाह उपरांत भी तुम हिन्दू धर्म का पालन करती रहना मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वादी काफी तेज स्वभाव का व्यक्ति है तथा विवाह उपरांत प्रतिवादिया को हिन्दू धर्म का पालन न करने तथा दहेज लाने हेतु तरह-तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना प्रारम्भ कर दिया व प्रतिवादी की कई बार मारपीट की। वादी फल फ्रूट का व्यापार करता है तथा नगर पालिका परिषद चंदेरी के वार्ड क्र0. 8 का पार्षद होकर 40-50 हजार रुपये की आय अर्जित करता है तथा वादी दूसरा निकाह करना चाहता है, जिस कारण वादी ने मनगणन तथ्यो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जिसे सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :-

1.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी की विवाहिता पत्नी होकर बिना किसी पर्याप्त कारण के दाम्पत्य संबंधो का निर्वाह नहीं करते हुए वादी से पृथक रह रही है ?	प्रमाणित नहीं
----	---	---------------

2	क्या वादी ने प्रस्तुत वाद में उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
3	क्या प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
4.	सहायता एवं वाद व्यय ?	दावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क0 1 :-

07— प्रकरण में इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी क0 1 रानी वादी जब्बार की विवाहिता पत्नी है। जब्बार व0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में लेख किया कि उसकी पत्नी रानी उसके पत्नी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है तथा अकारण दाम्पत्य जीवन का निर्वहन न करके उसे दाम्पत्य सुख से वंचित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके माता-पिता के यहां निवास कर रही है तथा वादी का उसके परिवार के कई बार घर लाने के प्रयास के बावजूद भी वह नहीं आई। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी रानी को अपने साथ रखना चाहता है तथा अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन कराना चाहता है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को अस्वीकार किया कि वह रानी को पत्नी के रूप में अपने साथ नहीं रखना चाहता है तथा रानी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया।

08— वादी जब्बार खांन वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में व्यक्त करता है कि वह उसकी पत्नी को उसके साथ रखने के लिये और उसे खाने पीने, पहनने, ओढ़ने के संबंध में सारी व्यवस्था के लिये तैयार है किन्तु वह उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहता है और न ही पत्नी से कोई संतान चाहता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार करता है कि वह रानी को इस शर्त के साथ अपने घर ले जाने के लिये तैयार नहीं है कि वह उसे दाम्पत्य जीवन का सुख दे। इसके अलावा रूस्तम बेग मिर्जा वा0सा02 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि जब्बार उसका परम मित्र है और उसे इस बात की जानकारी है कि जब्बार चाहता है कि रानी जब्बार के साथ इन शर्तों के साथ रहना चाहे कि जब्बार उसे दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं देगा और संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो ही रखेगा। प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में वादी जब्बार खांन ने बचाव पक्ष की इस बात से स्पष्टतः इंकार किया कि गुड्डोबाई नामक महीला से उसके अवैध संबंध हैं। साक्षी ने स्वतः कहा कि गुड्डोबाई उसकी बहन तथा मां गलती है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष की इस बात से भी इंकार किया

कि वह गुड़डोबाई को रखना चाहता है इसलिये रानी को घर से निकाल दिया है।

09— प्रतिवादी रानी ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में बताया कि वह अब जब्बार के साथ नहीं रहना चाहती है। उक्त साक्षी ने इस बात से स्पष्टतः इंकार किया कि उसने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है। वर्तमान परिदृश्य में वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य से दर्शित होता है कि दोनों ही एक दुसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी एक तरफ दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना हेतु न्यायालय में दावा प्रस्तुत करता है वहीं दुसरी ओर वादी स्वयं इस बात से इंकार करता है कि वह उसकी पत्नी अर्थात प्रतिवादी रानी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहता है और न ही उससे कोई संतान चाहता है तथा वादी जब्बार पत्नी रानी को इस शर्त के साथ उसके घर ले जाने के लिये तैयार नहीं है कि वह उसे दाम्पत्य जीवन का सुख दे। इस प्रकार वादी की स्वयं की साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि वादी उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न रखते हुए उसे दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं देना चाहता है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक— 2 :-

10— वादी द्वारा वर्तमान वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन “दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना हेतु” प्रस्तुत कर वाद का मूल्यांकन 2000/- रुपये किया जाकर 500/- न्यायालय शुल्क अदा किया है। वादी द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण **प्रमाणित** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक— 3 :-

11— प्रतिवादी की ओर से उसके जबाब दावे के पैरा 10 में लेख किया कि वादी का वाद अवधि बाह्य होने से प्रचलन योग्य नहीं है, जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 10 में वाद कारण दिनांक 04.04.2015 को होना व्यक्त किया है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद परिसीमा अधिनियम के सूची क्रमांक 54 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और वादी द्वारा उक्त समयावधि में ही अर्थात दिनांक 06.05.2015 को ही वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिससे उक्त वाद समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण “प्रमाणित नहीं” के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 4:-

सहायता एवं व्यय

12— उपरोक्तानुसार विवादको पर किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

13— प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

14— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0